



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940
No. 66]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

सं. एल-1/144/2013-केविआ: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नए विनियम को शामिल करना: मूल विनियम के विनियम 49 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा :

“49क पारेषण प्रमुख घटक:

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2001 के विनियम 4.10क के निबंधनानुसार जेवी रूट के माध्यम से निष्पादित पारेषण परियोजनाओं के लिए अनुज्ञेय पारेषण प्रमुख घटक, पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।”

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./542/18]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 83 में तारीख 12 मार्च, 2014 को प्रकाशित किए गए। प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 379 में तारीख 24 नवम्बर, . 2015 को जारी किया गया।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2019

No. L-1/144/2013-CERC.— In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014, (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of notification in the Official Gazette.

2. Insertion of new Regulation: The following new Regulation shall be inserted after Regulation 49 of the Principal Regulations.

"49A Transmission Majoration Factor:

Transmission Majoration Factor admissible for the transmission projects executed through JV route in terms of Regulation 4.10A of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2001 shall be available for a period of 25 years from the date of issue of the transmission licence."

SANOJ KUMAR JHA, Secy.
[ADVT.III/4/Exty./542/18]

Note: The Principal Regulations were published on 12th March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Serial No. 83. The first amendment was issued on 24th November, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Serial No. 379.